

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

11.09.2021

अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। उसे धारा- मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास भोगना होगा।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।